कार्यालय नगर निगम,मुंगेर

पत्रांक 2673/2010

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम,मुंगेर

सेवा में,

सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार,पटना।

पत्र
05 DEC 2018
प्राप्ति तिथि
बिहार, पटना

मुंगेर दिनांक 30-11-18

विषयः अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 627/2011–12 लेखा वर्ष 2010–11 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।

प्रसंगः– महालेखाकार बिहार पटना का पत्रांक– एल0ए0/एस0एस0 /श0स्था0नि0/14289 /790 दिनांक– 30.08.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 627/2011–12 लेखा वर्ष 2010–11 का अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक– 1039/सा0 दिनांक– 08.07.2014 के द्वारा भेजा जा चुका है। पुनः अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन

नगर आयुक्त
नगर निगम,मुंगेर।

पत्र पंजी
06 DEC 2018
संख्या 1279
बिहार, पटना

अनुपालन प्रतिवेदन A/R No. 627/11-12 वर्ष 2010–11

Para No.	Brief Para	Reply of Office	AAO Comment	Remarks
1	प्रस्तावना	सूचनात्मक टिप्पणी नहीं		
2	प्रशासन	तथैव		
3	अंकेक्षण कार्यक्षेत्र	तथैव		
4	आंतरिक अंकेक्षण	प्रधान सहायक एवं नगर प्रबन्धक के संयुक्त रूप से नियमित अन्तराल जाँच के लिए नियुक्त किया गया है।		
5	पूर्व लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	लंबित कंडिकाओं का अनुपालन किया जा रहा है। कार्यालय पत्रांक–103/सा0, दि0–21/04/12 एवं पत्रांक–206/मु0, दि0–04/02/11 द्वारा लम्बित कंडिका अनुपालन प्रतिवेदन भेजा गया है तथा वर्ष 2010–11 का अंकेक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन भेजा जा रहा है।		
6 (i)	लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धित क्रम सं0– (1)	13 वीं वित्त आयोग से प्राप्त राशि से कुल मो0– 82 लाख रू0 में से मात्र मो0– 24,69,145/– रू0 व्यय किया गया तथा शेष राशि से निविदा द्वारा कार्य हेतु कार्यादेश निकाला गया है।		
6 (ii)	कंडिका–14– 13.33 लाख रू0 नगर निगम कोष में जमा जाना करना	श्री संजीव कुमार सहायक द्वारा दूकान किराया मद में वसूली गई राशि कुल मो0– 13.33 लाख रू0 जमा नहीं करने के अभियोग में इस कार्यालय का पत्रांक 310 दिनांक 24-04-12 लाख द्वारा निलम्बित कर दिया गया है, और जमा करने हेतु विभागीय कार्रवाई की जा रही है। मनी रसीद सं0–2180, दि0–05/09/12 मो0 2.00 लाख तथा मनी रसीद सं0–2187, दि0–05/09/12, मो0– 40,000 एवं रसीद सं0–2316 दि0–10/09/12 को मो0–35,000/– द्वारा अर्थात अभी तक कुल मो0–275000/– नगर निगम कोष में जमा किया गया है। शेष राशि जमा कराने हेतु आदेश दिया गया है।		
6 (iii)	16– नगर निगम कार्यपालक पदाधिकारी को वेतन एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता का अनियमिता भुगतान	तत्कालीन नगर आयुक्त, श्री अजय कु0 सिंह के वेतन एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता में वर्ष 2009–10 में 5 लाख रू0 भुगतान किया गया है। जिसे महालेखाकार कार्यालय द्वारा आपत्ति से मुक्त किया गया है।		
6 (iv)	18–सरकारी भवनों पर बकाया कर	65 लाख रूप्ये वसूली हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।		
6 (v)	19– शिक्षा एवं स्वा0 उपस्कर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं	नगर निगम की वित्तीय स्थिति दयनीय है। कर्मचारियों को 36 माह का वेतन बकाया है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक होने पर जमा कर दिया जायेगा।		

6 (vi)	कंडिका सं0– 20 दैनिक मजदूरों पर अनियमित भुगतान	सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण दशहरा, छठ जैसे महान पर्व की साफ–सफाई हेतु समय–समय पर दैनिक मजदूरों को रखकर कार्य कराया जाता है। नई नियुक्ति पर सरकार का रोक है।		
6 (vii)	कंडिका सं0– 28 भंगी मुक्ती योजना मद की राशि वापस लौटाने में विलम्ब के कारण 11.60 रू0 सूद के रूप में नगर निगम को हानि	सूद की राशि कुल मो0–11.69 लाख रू0 भगी मुक्ती संस्थान पटना द्वारा डी0डी0 नं0–60818, दि0–29/03/12 द्वारा वापस कर दिया गया है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
6 (viii)	कंडिका– 29– राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना में अनियमित भुगतान 4.34 लाख	वर्ष 2006 के बोर्ड की बैठक में संस्था द्वारा दिये गये कार्य के लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक–13/5/2009 के आदेश के आलोक में संवेदक लाभांश 10 प्रतिशत एवं प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत की दर से भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इसी आलोक में संस्था को प्रशासनिक व्यय 10 प्रतिशत की दर से कुल मो0– 4.34 लाख रू0 का भुगतान किया गया है। अतः यह अनियमित भुगतान नहीं है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
6 (ix)	कंडिका सं0– 30 संविदा में विलम्ब का अधिरोपण नहीं	भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
6 (x)	कंडिका सं0– 34 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से विचलन	बी0आर0जी0एफ0 योजना मद की राशि बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात ही निविदा द्वारा क्रय समिति के स्वीकृति के पश्चात ही सामान आपूर्ति किया गया है। अतः यह विचलन नहीं है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
7	कंडिका– 7 लेखापाल रोकड़वही में द्वादश वित्त आयोग 13 वीं वित्त आयोग, स्वयं के श्रोत इत्यादि से सम्बन्धित राशि रखी गई, परन्तु व्यय शीर्ष का विवरण नहीं किया गया।	लेखापाल रोकड़ वही में द्वादश वित्त एवं 13 वीं वित्त आयोग की राशि का व्यय विवरणी रोकड़वही में दर्ज किया गया है। सम्भवतः अंकेक्षक दल द्वारा सही मिलान नहीं किया गया। अतः इसे अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा। इस आपत्ति को निरस्त किया जा सकता है।		
8 (i)	कंडिका– 8 (1) पिछड़ा प्रक्षेत्र अनुदान निधि	बी0आर0जी0एफ0 योजना मद की राशि मुंगेर जमुई सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक से राशि निकालकर खाता बन्द कर दिया गया है। प्राप्त सूद की राशि भी निकाल कर इलाहाबाद बैंक में जमा कर दिया गया है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		

8 (ii)	(2) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मद की अवशेष राशि मो0– 45,97,438/– अव्यहृत है।	स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना मद का अवशेष राशि– 45,97,438/– में से 17,00000/– रैन–बसेरा की राशि है। जिसमें एक नया रैन–बसेरा का निर्माण किया गया है। एवं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मद की अवशेष राशि से नगर विकास एवं आ0विभाग, बिहार पटना। के आदेशानुसार बी0पी0एल0 लाभान्वितों को प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
8 (iii)	(3) सांसद मद का अवशेष राशि मो0– 3,40, 963/– रू0	सांसद मद का अवशेष राशि से जनोपयोगी योजनाओ पर व्यय की कार्रवाई की जा रही है।		
8 (iv)	(4) विधायक मद की अवशेष राशि मो0– 16,76,251/–	विधायक मद से अनुशंसित एवं क्रियान्वित योजनाऐं जो पूर्ण की जा चुकी है। परन्तु अभिकर्त्ता को अन्तिम विपत्र भुगतान नहीं किया गया, भुगातन की कार्रवाई कर अवशेष राशि व्यय कर दिया जायेगा । अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		
8 (v)	(5) राष्ट्रीय गंदी विकास कार्यक्रम	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना द्वारा डी0पी0आर0 बनाने हेतु कुल मो0– 50,000/–रू0 डी0डी0 नं0–233799, दिनांक–10/10/2006 द्वारा प्राप्त हुआ था, जिसे बैंक ऑफ इंडिया, मुंगेर ब्रांच में जमा किया गया। बैंक द्वारा उक्त राशि चालू खाता सं0– 71 में जमा किया गया है, परन्तु बैंक द्वारा खाता सं0– 71 में प्रविष्टि नहीं की गई। इस कार्यालय का पत्रांक–270/स्था0, दि0–25/01/10, पत्रांक–143, दि0–15/06/10 एवं पत्रांक–38, दि0–28/01/11 द्वारा सूचित किया गया एवं इस कार्यालय का पत्रांक–462/स्था0, दि0–30/08/11 द्वारा नगर विकास एवं आ0 विभाग बिहार पटना को भी सूचित किया गया है।		
9	अनुदान	अनुदान पंजी का संधारण किया गया है, जिसे अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायगा। अतः इसे आपत्ति मुक्त किया जा सकता है।		
10	13 वीं. वित्त आयोग का अवरोधन	13 वीं वित्त आयोग से प्राप्त राशि से योजनाओं का चयनकर निविदा निकाला गया है और योजना का कार्य किया जा रहा है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		

11	वार्षिक लेखा	वार्षिक लेखा पंजी का संधारण किया गया है। बी0आर0जी0एफ0, सांसद एवं विधायक कोष से प्राप्त आय–व्यय को वार्षिक लेखा पंजी संधारण की कार्रवाई की जायेगी। जिसे अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायेगा। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
12	कम जमा/नहीं जमा	550/– एम0आ0 नं0 3238, दि0–23/11/12 द्वारा नगर निगम कोष में जमा कर दिया गया, जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा अतः आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
13	विविध रसीद का भंडार एवं निर्गत पंजी	निराकरण कर दिया गया है, अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायेगा। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
14	दूकान किराया की वसूली गई राशि कम जमा	श्री संजीव कुमार सहायक द्वारा दूकान किराया की वसूली की गई राशि कुल मो0– 6,32,065/– रू0 में से मात्र 17,110/– रू0 नगर निगम कोष में जमा किया गया है। सरकारी राशि गबन करने के अभियोग में इस कार्यालय का पत्रांक 310 दिनांक 24-04-12 द्वारा श्री कुमार को निलम्बित कर विभगीय कार्रवाई की जा रही है। विविध रसीद द्वारा कुल मो0– 2,75,000/– नगर निगम कोष में जमा किया गया है। शेष राशि जमा करने हेतु आदेश दिया गया है।		
15	प्रत्यक्ष विनियोग (Direct Appropriation)	(1) भविष्य में इसका अनुपालन किया जाएगा। (2) इस कार्यालय का पत्रांक–1074/सा0, दिनांक–03/11/12 द्वारा 15,190/– रू0 नगर निगम कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जायेगा।		
16	नगर कार्यपालक पदाधिकारी का वेतन एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता का अनियमित भुगतान	महालेखाकार बिहार पटना द्वारा इस कंडिका को आपत्ति से मुक्त कर दिया गया है।		
17	मांग एवं वसूली	मांग एवं वसूली पंजी सम्बन्धित कर्मचारी को आदेश दिया गया है। जिसका अनुपालन किया जा रहा है। अतः इसे निरस्त किया जा सकता हैं		
18	कंडिका–18– नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित सरकारी भवनों पर बकाया कर की स्थिति	सभी सम्बन्धित सरकारी भवनों पर बकाया वसूली हेतु डिमाण्ड नोटिस दिया गया है। सरकारी भवनों पर बकाया कर जमा करने हेतु सम्बन्धित विभाग को सूचित किया गया है।		

19	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपस्कर की राशि सरकारी कोष में जमा नहीं	नगर निगम, मुंगेर का वित्तीय स्थिति दयनीय है। कर्मचारियों की 36 महा से वेतन बांकी है। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन जमा करने में असमर्थ है। जब तक सरकार द्वारा वेतन में आवंटन प्राप्त नहीं होता है। जमा करना असम्भव है।		
20	बस स्टैण्ड एवं टैक्सी स्टैण्ड की विभागीय वसूली	बस स्टॅण्ड एवं टैक्सी स्टैण्ड की बन्दोबस्ती नहीं होने के कारण, दैनिक मजदूरों को रखकर वसूली का कार्य लिया गया है। कर्मचारियों की कमी के कारण ऐसा किया गया। अगले वित्तीय वर्ष से डाक द्वारा बन्दोबस्ती की जा रही है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
21	कंडिका– 21 कानूनी प्रभार पर व्यय	नगर निगम से संबंधित मुकदमा पर अधिवक्ता की भुगतान किया गया है। अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		
22	कंडिका–22– फिटकिरी की खरीद पर व्यय	फिटकिरी क्रय से संबंधित अभिश्रव अंकेक्षक को दिखाया गया है। सम्भवतः अंकेक्षक द्वारा नजर अंदाज किया गया है। अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		
23	कंडिका–23– भविष्य निधि खाता	भविष्य निधि कटौती की गई राशि सम्बधित कर्मचारियों के खाता में जमा किया जा रहा है। राशि की अनुउपलब्धता के कारण पूर्व के वर्षों में कटौती की गई राशि जमा नहीं किया गया है। राशि उपलब्ध होने पर जमा कर दी जाएगी।		
24	कंडिका–24– दैनिक मजदूरों पर अनियंत्रित भुगतान	नगर निगम में कर्मचारियों के कमी एवं सरकार द्वारा नई नियुक्ति पर रोक के कारण राजस्व वसूली एवं शहर की सफाई व्यवस्था पर दैनिक मजदूर रखकर कार्य कराया गया है। अतः इसे निरस्त किया जा सकता हैं		
25	कंडिका– 25– बंदोबस्ती पंजी	अनुपालन हेतु आदेश दिया गया है। अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		
25 (i)	कंडिका–26– (1) कर्पूरी मार्केट की बन्दोबस्ती	कर्पूरी मार्केट का निर्माण चर्वा से किया गया है। वहाँ कोई डाक वक्ता डाक लेना नहीं चाहता है। इसी कारण बन्दोबस्ती नहीं हो सका। अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		
25 (ii)	कंडिक–26– (2) जाजलकिता एवं बबुआ घाट शौचालय की बन्दोबस्ती नहीं	जाजलकिता एवं बबुआ घाट शौचालय की बन्दोबस्ती नहीं की गई है।		
25 (iii)	कंडिका–26 (3) विश्वास बोर्ड शौचालय का बन्दोबस्ती	अनुपालन किया गया है। जिसे अगले अंकेक्षक को दिखा दिया जाएगा।		
25 (iv)	कंडिका–26 (4) अस्पताल रोड शौचालय	इसे अगले अंकेक्षक दल को दिखा दिया जायेगा।		

26	कंडिका– 27 टीन टोकन	टीन–टोकन आपूर्त्ति का आदेश में गोपाल प्रिंटिंग प्रेस, पटना सिटी को दिया गया है। जिसका भुगतान किया जा चुका है। जिसे अगले अंकेक्षण दल को दिखा दिया जाएगा।		
27	पूर्वी किला गेट के पास पुल की मरम्मति	महालेखाकार बिहार पटना द्वारा इसे आपत्ति से मुक्त किया जा चुका है।		
28	कंडिका– भंगी मुक्ती योजना	नगर विकास एवं आ0 विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–966, दिनांक–10/03/97 द्वारा अगले आदेश तक कार्य स्थगित करने का आदेश दिया गया था। पुनः पत्रांक– 3261, दिनांक–16/09/04 द्वारा कार्य कराने का आदेश दिया गया। उसी आदेश के आलोक में संस्था द्वारा कार्य कराया गया।		
28 (i)	लेखा परीक्षा टिप्पणी	नगर विकास एवं आ0 विभाग बिहार पटना का पत्रांक–1764, दिनांक–07/07/1993 के द्वारा भंगी मुक्ति संस्था से कार्य कराने का आदेश दिया गया है, सम्भवतः अंकेक्षक द्वारा संचिका का सही अवलोकन नहीं कर इस तरह की आपत्ति दर्ज की गई। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
28 (ii)		संस्था द्वारा सूद की राशि मो0– 10,69,043/– रू0 का डी0डी0 नं0–608182, दि0– 29/03/12 द्वारा नगर निगम में जमा कर दिया गया है। अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		
29	कंडिका– 29– राष्ट्रीय गंदी विकास योजना	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही कार्य कराया गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रशासनिक व्यय भुगतान किया गया हैं		
30	कंडिका– 30– एकल निविदा पर योजनाओं का कार्यान्वयनः–	बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता खंड–1 (नियम 160–165) के कंडिका 163 एवं कंडिका 165 के उप नियम (4) के आलोक में एकल निविदा पर योजनाओं का कार्यान्वयन कराया गया है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
31	कंडिका– 32– निविदा आमंत्रण–	आगे से कार्यान्वयन योजनाओं पर अनुपालन किया जायेगा। अतः इसे निरस्त किया सकता है।		
32	कंडिका–33 विलम्ब दंड का अधिरोपण नहीं	भविष्य में इसका अनुपालन किया जायेगा।		
33	कंडिका–34– अधिक भुगतान	बी0आर0जी0एफ0 मद से कार्यान्वित योजना सं0– 3/10–11, 10/10–11, 11/10–11 एवं 37/10–11 में संवेदकों द्वारा काये गये कार्यों का भुगतान उनके विपत्रों से निविदित मूल्य की कटौती के पश्चात ही भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान का प्रश्न नहीं है। अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		

34	बी0आर0जी0एफ मद से क्रय (विचलन)	बी0आर0जी0एफ0 योजना मद से विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु बोर्ड द्वारा पारित कराकर निविदा द्वारा क्रय समिति की स्वीकृति के पश्चात ही जनोपयोगी हेतु सामग्री की क्रय किया गया है। अतः यह विचलन नहीं है। अतः इसे आपत्ति से मुक्त किया जा सकता है।		
35	कंडिका– 35– अधिक/अतिरिक्त भुगतान	योजना नं0– 4/08–09 (सांसद निधि) से वार्ड नं0– 07 में अभिकर्त्ता द्वारा कराये गये कार्यों का भुगतान प्राक्कलित एवं प्रशासनिक स्वीकृति पर ही किया गया है। अतः अधिक भुगतान नहीं किया गया है, अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		
36	कंडिका– 36– प्राक्कलन में त्रुटि एवं अनियमित भुगतान	योजना की प्राक्कलित राशि– 1,50,000/– रू0 है। सभी प्रकार के करों की कटौती के पश्चात ही अभिकर्त्ता की अन्तिम भुगतान किया गया है। अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		
37	कंडिका–37– राशि का अनियमित अवरोधन–	कार्यालय–पत्रांक–1074/स्था0, दि0–23/11/12 द्वारा अभिकर्त्ता श्री राम कुमार राय क0 अभि0 को सूचित किया गया है। जिसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा		
38	कंडिका–38– अनियमित कार्य पर व्यय एवं वैट की कटौती नहीं	अभिकर्त्ता के अन्तिम विपत्र से वैट की कटौती करने के पश्चात ही भुगतान की गई है।		
39	कंडिका– 39– वैट की कटौती नहीं	वैट की कटौती कर सम्बन्धित विभाग को चेक द्वारा कटौती की गई राशि भेज दी गई है। अतः इसे निरस्त किया जा सकता है।		
40	कंडिका– 40– अग्रिम	वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल अग्रिम की राशि मो 15,07,731=00 का समायोजन किया गया है। शेष पर समायोजन की कार्रवाई की जा रही है।		
41	कंडिका– 41– विविध रसीद बहियों का अप्रस्तुतीकरण	(1) श्री उदय पांडे सहायक द्वारा विविध रसीद सं0– 1901 से 2000 एवं 401 से 500 तक वर्ष 2011–12 का अंकेक्षण के समय अंकेक्षण करा लिया गया है, जिसे अगले अंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा। (2) श्री संजीव कुमार, सहायक द्वारा रसीद सं0– 501 से 600 तक अंकेक्षण नहीं कराया गया है। इस कार्यालय का पत्रांक 310/स्था0 दिनांक 24-04-12 द्वारा सरकारी राशि गबन करने के आरोप में निलम्बित कर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।		
42	कंडिका–42– कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप	सूचनात्मक टिप्पणी नहीं		
43	कंडिका–43– अंकेक्षण के परिणाम	सुझाव का अनुपालन किया जा रहा है।		
44	कंडिका– 44– सामान्य अभियुक्ति	अनुपालन किया जा रहा है।		

नगर आयुक्त
मुंगेर नगर निगम